भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1289

(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी योजना से स्वतः विलगन (ऑटो एक्सक्लूजन) मानदंड

1289. श्री राजा राम सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में संशोधन करने और स्वतः विलगन मानदंड शुरू करने से पूर्व समिति का गठन किया है, यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वत: विलगन मानदंड लागू करने से पहले पात्र लोगों के लिए अपेक्षित मानदंडों में अंतर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में समिति गठित किए बिना ही विलगन लागू किया गया है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क)से (ग) : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और इसे 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों की पहचान के लिए एसईसीसी 2011 डेटा के उपयोग के साथ बुनियादी सुविधाओं सहित मार्च 2024 तक पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ आवासो के निर्माण का अनुमोदन दिया है। पीएमएवाई-जी के दिशा-निर्देशों यानी कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा (एफएफआई) को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सदस्य शामिल थे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 09.08.2024 को आयोजित अपनी बैठक में पीएमएवाई-जी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए संशोधित बहिर्वेशन मानदंडों को भी मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, मशीनीकृत दोपहिया वाहन, मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, लैंडलाइन फोन और रेफ्रिजरेटर से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके अलावा, आय मानदंड को भी 10000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है और भूमि संबंधी मानदंडों को सरल बनाया गया है।

पीएमएवाई-जी के नए चरण के अंतर्गत संशोधित स्वत: बहिर्वेशन मानदंडों का विवरण निम्नानुसार है:

चरण 1: पक्के मकानों का बहिर्वेशन - पक्की छत और/या पक्की दीवार वाले घरों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से अधिक कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवारों को इस सूची से बाहर रखा गया है।

चरण 2: स्वत: बहिर्वेशन मानदंड – शेष परिवारों में से, नीचे सूचीबद्ध 10 मापदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले सभी परिवारों को स्वत: ही बाहर कर दिया जाता है: -

1. मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन।
2. मोटर चालित तीन/चार पहिया कृषि उपकरण।
3. 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड।
4. ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
6. परिवार का कोई भी सदस्य जो 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता हो।
7. आयकर का भुगतान करने वाला।
8. व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाला।
9. 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व होना।
10. 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का स्वामित्व होना।

(घ): इस योजना के तहत, आज की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी के संचयी लक्ष्य में से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3.33 करोड़ मकान आवंटित किए गए हैं और इनमें से 3.21 करोड़

मकानों को मंजूरी दी गई है और 2.67 करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-।** में दिया गया है और पिछले पांच वर्षों में लाभार्थियों की राज्यवार संख्या **अनुबंध- ।।** में दी गई है।

****

अनुबंध-I

"पीएमएवाई-जी योजना से स्वतः बहिर्वेशन मानदंड" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1289 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वि.व. 2019-20		वि.व. 2020-21		वि.व. 2021-22		वि.व. 2022-23		वि.व. 2023-24	
		जारी राशि	व्यय	जारी राशि	व्यय	जारी राशि	व्यय	जारी राशि	व्यय	जारी राशि	व्यय
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0.4	0	5.97	104.85	16.7	69.58	127.27	200.61	239.84
2	असम	1433.97	2046.75	1503.43	1269.44	5771.11	2195.33	9141.75	10913.3	2934.45	6356.77
3	बिहार	4902.97	8265.94	6683.93	10004.4	3082.22	5954.44	7497.21	11718.1	29.66	1098.1
4	छत्तीसगढ़	562.55	989.82	307.12	983.99	0	31.32	344.23	822.15	1730.76	2201.83
5	गोवा	0	0.8	0	0.53	0	0.37	0	0.49	0	0.58
6	गुजरात	385.56	798.1	192.78	495.64	687.29	893.09	911.75	1004.66	559.25	1540.85
7	हरियाणा	34.55	63.35	0	13.27	0	17.26	44.33	62.35	3.23	32.44
8	हिमाचल प्रदेश	0	11.1	10.62	23.4	32.97	44.04	37.86	33.24	99.46	92.4
9	जम्मू और कश्मीर	67.69	221.42	795.86	599.35	123.43	419.37	1031.58	709.95	1234.69	1363.33
10	झारखंड	2442.76	3396.56	3348.51	3750.22	1207.91	4237.82	1236.02	2127.4	28.09	523.34

11	केरल	0	11.8	0	25.05	0	66.87	70.29	94.63	2.11	22.86
12	मध्य प्रदेश	2291.98	4176.03	4565.8	4068.96	4509.58	8046.72	6374.91	11171.3	241.64	1258.46
13	महाराष्ट्र	1815.33	1924.76	1310.1	2433.5	1249.8	2003.81	1676.07	3098.13	785.21	1820.27
14	मणिपुर	10.3	12.83	84.89	93.49	21.01	26.86	161.14	128.8	216.45	157.32
15	मेघालय	22.6	57.97	191.08	185.54	90.13	72.51	106.44	88.26	1591.26	1498.37
16	मिजोरम	0	31.8	16.16	13.82	41.92	5.83	29.58	55.52	157.9	140.3
17	नगालैंड	0	15.25	17.4	2.12	17.41	20.44	52.5	28.68	334.17	322.57
18	ओडिशा	2197.33	5460.06	2821.87	4556.46	1011.87	1122.73	1723.28	310.83	4310.71	7643.52
19	पंजाब	0	36.01	49.22	59.1	18.31	60.73	71.68	100.86	32.64	48.16
20	राजस्थान	2933.34	2923.07	1108.59	3679.45	1405.46	2332.48	2157.52	3036.53	67.57	661.99
21	सिक्किम	0.65	0.37	0	0.28	0.57	0.06	0.97	1.67	1.58	2.12
22	तमिलनाडु	487.52	996.93	78.62	672.61	928.93	668.86	2004.39	2290.47	28.23	975.55
23	त्रिपुरा	229.52	210.5	113.62	98.3	1368.48	1111.18	1264.2	1325.14	1276.9	1664.60
24	उत्तर प्रदेश	1145.64	2207.35	4830.9	5990.29	3727	7869.83	4777.03	7317.5	2620.93	5014.91
25	उत्तराखंड	0	5.71	0	1.31	149.18	138.33	128.08	172.55	388.19	353.88
26	पश्चिम बंगाल	5976	8854.36	8810.54	10037.26	687.84	5423.18	0	1108.3	0	80.63
27	अंडमान और निकोबार	0	1.12	16.88	8.53	0	1.87	0	0.42	5.45	2.19
28	दादरा व नगर हवेली	55.98	23.33	0	33.46	0	21.85	0	13.55	0	16.89

	तथा दमन एवं दीव										
29	लक्षद्वीप	0	0.35	0	0.01	0	0	0	0	0	0
30	पुडुचेरी*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	87.65	312.25	503.66
32	कर्नाटक	309.6	0	0	0	0	0	214.92	0	3.61	468.67
33	तेलंगाना*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	3.09	2.94	18.9	17.6
कुल		**27305.84**	**42743.9**	**36857.93**	**49105.75**	**26237.2**	**42803.87**	**41130.36**	**57952.50**	**19215.9**	**36124.05**

* तेलंगाना और पुडुचेरी पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं।

अनुबंध-II

"पीएमएवाई-जी योजना से स्वतः बहिर्वेशन मानदंड" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1289 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक पीएमएवाई-जी के तहत मकान बनाने वाले लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

(इकाई संख्या में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
		निर्मित मकान	निर्मित मकान	निर्मित मकान	निर्मित मकान	निर्मित मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	747	2417	992	9344	21373
2	असम	84404	131281	117741	1009168	390292
3	बिहार	415056	1048588	614795	1237477	190671
4	छत्तीसगढ़	34588	59685	23291	33575	232309
5	गोवा	187	87	19	12	94
6	गुजरात	35591	54890	77386	65611	149363
7	हरियाणा	6691	1232	269	5804	2812
8	हिमाचल प्रदेश	447	605	1884	3658	4558
9	जम्मू और कश्मीर	5016	21570	42516	79675	79759

10	झारखंड	166684	243988	317260	364478	50980
11	केरल	843	880	2501	8852	5136
12	मध्य प्रदेश	275342	262067	608646	1060106	132464
13	महाराष्ट्र	95129	183649	180360	344408	110996
14	मणिपुर	1151	2779	4023	13955	6937
15	मेघालय	5357	5642	7324	6996	54487
16	मिजोरम	997	1128	1158	1020	17361
17	नागालैंड	3687	535	0	3210	8191
18	ओडिशा	361465	395357	97193	30376	526370
19	पंजाब	410	3908	5473	11384	3921
20	राजस्थान	169239	318262	143211	400203	38749
21	सिक्किम	43	15	5	41	249
22	तमिलनाडु	52759	52184	57342	175269	104534
23	त्रिपुरा	7055	15873	1661	180530	132168
24	उत्तर प्रदेश	174189	37711	1094653	662225	378406
25	उत्तराखंड	192	93	3847	12498	38562
26	पश्चिम बंगाल	286340	678587	959229	147382	14398

27	अंडमान और निकोबार	286	483	335	97	26
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	221	972	641	1486	359
29	लक्षद्वीप	9	28	7	0	1
30	पुडुचेरी**	-	-	-	-	-
31	आंध्र प्रदेश	5	0	0	2167	28160
32	कर्नाटक	7085	2405	11239	2641	33835
33	लद्दाख	1344	62	22	1	1575
34	तेलंगाना**	-	-	-	-	-
	कुल	**21,92,559**	**35,26,963**	**43,75,023**	**58,73,649**	**27,59,096**

** तेलंगाना और पुडुचेरी पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं।

*****